संख्याः 62 भू0क्य/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 09 मई, 2008

विषयः—मै0 बालाजी इण्डस्ट्रीज को स्टोन केशर की स्थापना हेतु जनपद हरिद्वार की तहसील हरिद्वार के ग्राम बिशनपुर झरडा अहतमाल में 0.5227 है0 भूमि क्य करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—779/भूमि व्यवस्था— भू0क0 दिनांक 07 अगस्त, 2007 एवं सं0 1120/ भूमि व्यवस्था— भू0क0 दिनांक 19 अक्टूबर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 बालाजी इण्डस्ट्रीज को स्टोन केशर की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15—1—2004 की धारा—154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की तहसील हरिद्वार के ग्राम बिशनपुर झरडा अहतमाल के गाट। संख्या— 112/2 क्षेत्रफल 0.2767 है0,112/2रकबा 0.092 है0,112/3 रकबा 0.154 है) कुल 3 किते क्षेत्रफल 0.5227 है0 भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:—

1— केता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी क भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्य करने के लिये अर्ह होगा।

2— केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

.....(2)

3– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग 5 वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गयी स्वीकृति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों तक वैध होगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिन के भीतर योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा, व 2 वर्ष के भीतर इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

7– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/ नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

8– प्रस्तावित क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तो के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए भवन निर्माण का मानचित्र सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9– प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के अन्तर्गत GIDCR – 2005 में उल्लिखित शर्तो के अधीन होगा एवं उक्त शर्तो के कियान्वयन के अनुश्रवण का दायित्व उद्योग विभाग का होगा।

.....(3)

10– स्थापित किये जाने वाले उद्योग में में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को नियमित रुप से न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

11– प्रस्तावित इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र " स्टोन केशर संयत्र" की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। इकाई को स्वयं के संसाधनों से अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराना होगा।

12– इकाई में पूंजी निवेश एवं नियमानुसार योजना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, तथा अग्निशमन आदि विभागों से नियमानुसार स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य संबधित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकताएं/अनापत्तियॉ प्राप्त कर लिया जाना अनिवार्य होगा।

13– प्रस्तावित भूमि भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है। अतः इकाई को किसी भी गतिविधि किये जाने पर विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नही होगा।

14– आवेदक प्रस्तावित भूमि में मात्र स्टोन केशर की स्थापना करेगा तदोपरान्त खनिज के भण्डारण के सम्बन्ध में नियमानुसार अनुमति प्राप्त केया जाना आवश्यक होगा।

15– आवेदित क्षेत्र में स्टोन केशर की स्थापना से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण का विवाद होता है तो उसका उत्तरदायी आवेदक स्वयं होगा। आवेदित स्थल तक पहुँच मार्ग के निर्माण आदि आवेदक द्वारा ही किया जायेगा तथा विस्फोट संकियाओं के दौरान पडने वाले मार्गो पर चल रहे यातायात को बाधित नहीं करेगा।

16– स्टोनकेशर की स्थापना के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

17– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि कय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है। केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

18– किसी दशा में केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लेया जाये।

19– भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

20– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे

.....(4)

शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, श्रम एंव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6– निदेशक, उद्योग, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
7– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2–न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
8– श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रामस्वरुप,आदमपुर, हसील–मण्डी, हिसार, हरियाणा।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।